

E-mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

सं० सं० : 03/भू0अ0नि0 (3) सं० स्था0 (त्याग)- 25/2024..... पटना, दिनांक : 24/04/2025

आदेश

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना के अन्तर्गत विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का पदस्थापन भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा विभिन्न तिथियों में निर्गत आदेश से विभिन्न बन्दोबस्त कार्यालयों में पदस्थापित किया गया है।

नियोजित संविदा कर्मियों द्वारा समर्पित त्याग पत्र को बन्दोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा निदेशालय को प्रेषित की गई है।

प्राप्त त्याग पत्र के समीक्षोपरान्त निम्न तालिका के स्तम्भ संख्या-02 में अंकित संविदा कर्मियों का त्याग पत्र स्तम्भ संख्या-07 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है :-

| क्र० सं० | कर्म का नाम | आई० डी० | संविदा पदनाम | पदस्थापित बन्दो० कार्या० का नाम | बन्दो० कार्या० का पत्रांक/दिनांक | त्याग पत्र की तिथि |
|----------|-----------------------|----------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्री प्रणव कुमार सिंह | AEN03515 | विशेष सर्वेक्षण अमीन | खगड़िया | 265-II / 09.04.2025 | 10.02.2025 |

2. त्याग पत्र की स्वीकृति विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन प्रतिवेदन से आच्छादित होगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

(कमलेश कुमार सिंह)
निदेशक

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (3) सं० स्था0 (त्याग)- 25/2024..... पटना, दिनांक : 24/04/2025
प्रतिलिपि :- बन्दोबस्त पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु०), बन्दोबस्त कार्यालय, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (3) सं० स्था0 (त्याग)- 25/2024..... पटना, दिनांक : 24/04/2025
प्रतिलिपि :- आदेश की स्तम्भ संख्या-02 में अंकित कर्मियों को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0 (3) सं० स्था0 (त्याग)- 25/2024..... पटना, दिनांक : 24/04/2025
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि इसकी स्कैन कॉपी R2R के अन्तर्गत व्यक्तिगत संचिका में संधारित करें।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण